संचिका सं0–10/अति0–08–15/2018.....874(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 10-12-18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र, नरहन का भवन चिकित्सक आवास एवं चहारदीवारी का निर्माण कार्य हेतु रुपये 75,99,000/-(पचहत्तर लाख निन्यानवें हजार रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्रांक–1125, दिनांक–23.10.2018 तथा कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक–1556, दिनांक–05.10.2018 से प्राप्त पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र, नरहन का भवन चिकित्सक आवास एवं चहारदीवारी का निर्माण कार्य हेतु रुपये 75,99,000/-(पचहत्तर लाख निन्यानवें हजार रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) राज्यादेश संख्या–178(10), दिनांक–01.07.2010 के क्रम में निर्गत आवंटनादेश संख्या–05(10)ब, दिनांक–06.07.2010 को रद्द करते हुए संशोधित राज्यादेश संख्या–639(10), दिनांक–12.03.2011 से प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी, जिसमें बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को निर्माण एजेन्सी के रूप में नामित किया गया तथा आवंटनादेश संख्या–16(10)ब, दिनांक–15.03.2011 से कुल रुपये 75,99,000/-(पचहत्तर लाख निन्यानवें हजार रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को उपलब्ध कराया गया लेकिन भवन निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। तद्क्रम में स्वीकृत्यादेश संख्या–639(10), दिनांक–12.03.2011 को रद्द किया जाता है।

(3) यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/ एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी ।

(vi) भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त प्रगति प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचना स्वास्थ्य विभाग को भी ससमय उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0102–ग्रामीण अस्पतालों के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड– 03-4210021100102, विषय शीर्ष– (53 01)–मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(5) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(6) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010, 1014/वि0(2) दिनांक–03.02.2011, 1752/वि0(2), दिनांक–01.03.2011 एवं 2837/वि0(2) दिनांक–29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

(7) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेगें।

(8) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/अति०–08–15/2018 के पृष्ठ–...2../टि0 पर प्राप्त है ।

(10) राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी ।

(11) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

(12) संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 874(10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 10-12-18

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/सिविल सर्जन, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विभूतिपुर (समस्तीपुर)/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/संबंधित सहायक/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।